न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट), गोरखपुर।

सत्र परीक्षण सं0– 186/2017

में

आवेदन स०– 1174ख

सरकार.....बनाम..... आशीष बरनवाल एवं अन्य

दिनांक– 17.08.2026

1. आवेदन संख्या 1174ख विचारगत है। उक्त आवेदन में इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 01.08.2026 को पारित अपने आदेश जोकि **आवेदन सं0 1173 ख** जोकि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किया गया था जिसमें **सत्र परीक्षण संख्या186/2017 (मु0अ0सं0 295/2016, थाना राजघाट जनपद गोरखपुर)** में धारा 147,148,149 भा0द0सं0 का आरोप विरचित करने का आग्रह किया गया था को स्वीकार किया गया और उसके फलस्वरूप अभियुक्तगण की ओर से न्यायालय के समक्ष उक्त आवेदन प्रस्तुत कर पी0डब्ल्यू0–1 अनामिका बरनवाल, पी0डब्ल्यू0–2 अरूण बरनवाल एवं पी0डब्ल्यू0–3 अनवेष कुमार बरनवाल को पुनः बुलाये जाने का आग्रह किया गया है ताकि उक्त नये आरोपों के संदर्भ में उनकी प्रतिपरीक्षा बचाव पक्ष के द्वारा की जा सके।

2. उक्त के संबंध में आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्तागण ने संवेत स्वर में न्यायालय के समक्ष तर्क रखा कि जब नये चार्ज/आरोप विरचित किये गये हैं तब भले ही अभियुक्तगणों का कथन अंकित अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 संक्षिप्ततः द0प्र0सं0 की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी हो, धारा 217 द0प्र0सं0 के प्रावधानों के अनुसार न्यायालय में पुनः गवाही उक्त के संदर्भ में कराया जाना आवश्यक है और इस हेतु धारा 217 द0प्र0सं0 के उक्त प्रावधान इस न्यायालय पर बाध्यकारी हैं।

3. उक्त के विपरीत अभियोजन की ओर से यह तर्क न्यायालय के समक्ष रखा गया कि **आवेदन सं0 1173ख** जिसमें कि उक्त धाराओं के संबंध में आरोप विरचन हेतु न्यायालय से निवेदन किया गया था में इस संदर्भ में विस्तार से उल्लेख किया गया है कि पी0डब्ल्यू0–1 अनामिका बरनवाल, पी0डब्ल्यू0–2 अरूण बरनवाल एवं पी0डब्ल्यू0–3 अनवेष कुमार बरनवाल के द्वारा न्यायालय में अपनी मुख्य परीक्षा और प्रतिपरीक्षा में दिये गये साक्ष्य से उक्त धाराओं के संदर्भ में न्यायालय के समक्ष स्पष्ट साक्ष्य दिया था और ऐसे में उक्त धाराओं के संदर्भ में इस मामले में आरोप का विरचन एक तकनीकी प्रक्रिया भर था जिसे कि इस न्यायालय (मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी) ने उक्त आवेदन के निष्पादन के अनुक्रम में यह स्पष्ट फाईडिंग दी थी कि

"उपरोक्त साक्षियों के साक्ष्य के परिशीलन से प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि **अभियुक्तगण एक राय होकर बलवा करने के उद्देश्य से घातक हथियारों से सुसज्जित होते हुए चोटहिल साक्षी पी0डब्ल्यू0–2 अरूण बरनवाल का पीछा किया और जान से मारने की नीयत से उसके ऊपर असलहे से फायर किया।** अभियुक्त आशीष बरनवाल के असलहे की गोली साक्षी पी0डब्ल्यू0–2 को लग गयी जिससे वह चोटहिल हो गया।"

3.1 अभियोजन द्वारा यह अभिकथन किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर साक्षी पी0डब्ल्यू0–2 अरूण बरनवाल के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर किया है। अभियोजन द्वारा यह तर्क दिया गया कि अभियोजन साक्षियों के बयान में धारा 147,148,149 भा0द0सं0 के तथ्य विद्यमान हैं साथ ही इस मामले के अभियुक्तगणों से जो भी प्रश्न उनके कथन अंकित अन्तर्गत धारा 313 द०प्र०सं० पूछे गये हैं उनसे यह स्पष्ट रूप से निकलकर सामने आया है कि अभियुक्तगणों को इस बात का पूर्ण ज्ञान था कि उनके द्वारा कारित कृत अपराध अन्तर्गत धारा 147,148 और 149 भा०द०सं० की परिधि में भी आता है अतएव उक्त धाराओं के संबंध में आरोप बनाये जाने से अभियुक्तगण के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई पूर्वाग्रह जनित नहीं होता अतएव फिर से गवाहों को बुलाना और उनकी प्रतिपरीक्षा की अनुमति बचाव पक्ष को दिया जाना किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगा अपितु यह वर्ष 2016 से चल रहे मामले के निष्पादन में और विलम्ब उत्पन्न करेगा तथा न्याय की मंशा को हराने के सदृश होगा। अस्तु बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत **आवेदन संख्या 1174ख** को सव्यय निरस्त किया जाये।

4. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त आवेदन के सापेक्ष दी गई दलीलों को विचारगत किया गया साथ ही उक्त आवेदन एवं सत्र परीक्षण संख्या 186/2017 की सम्पूर्ण पत्रावली का गम्भीरता से परिशीलन किया गया।

5. इस वर्तमान आवेदन के विचारण के प्रथम सोपान पर ही यह न्यायालय यहां धारा 216 और 217 द0प्र0स0 की मूल भावना का उल्लेख करना आवश्यक समझती है, जिसमें **न्यायालय को** प्रथमतः यह देखना है कि नया आरोप सम्मिलित/संयोजन करने से बचाव पक्ष या अभियोजन को कहीं कोई पूर्वाग्रह तो नहीं हो रहा।

5.1 धारा 216(3) द०प्र०सं० यह प्रावधानित करती है कि न्यायालय के मत में अगर कोई नया चार्ज/आरोप जोड़ने से आरोपी या अभियोजन पक्ष के सापेक्ष कोई पूर्वाग्रह जनित नहीं करता तो न्यायालय ऐसे परिवर्तन या संयोजन के बाद ट्रायल के लिए प्रोसिड करेगी जैसे कि ये परिवर्तित और जोड़े गये आरोप मूल आरोप हों। अर्थात् न्यायालय ट्रायल के हेतु अग्रसर होगी। साथ ही धारा 217(a)

द०प्र०सं० स्पष्ट रूप से कहती है कि **अगर न्यायालय को लगता है कि** बचाव पक्ष गवाहों को दूबारा केवल इसलिए बुलाना चाहता है ताकि मामले को लटकाया जा सके (Vexation/Delay) या इससे न्याय की हार (Defeat of Justice) होती हो, तो न्यायालय ऐसे आवेदन पत्र को निरस्त कर सकती है।

5.2 जहां तक इस वर्तमान मामले का प्रश्न है इस वर्तमान मामले में **वर्तमान में 9 अभियुक्त हैं** और इस मामले की कथित घटना रात के वक्त की है अर्थात् धारा 147,148,149 भा0द0सं0 (बलवा और गैर कानूनी जन समूह) की कहानी पहले दिन से ही मामले में मौजूद है। उल्लेखनीय रूप से पी०डब्ल्यू०–2 अरूण कुमार बरनवाल जिसे अभियोजन ने आहत चक्षुदर्शी साक्षी बताया है ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में यह साक्ष्य दिया है कि

> **".....मैंने पलटकर देखा तो मुझे कुछ बाईकों पर 10 लोग दिखाई दिये उनके पीछे मेरा लड़का दीवार के सहारे खड़ा था और भयभीत था मैंने सामने देखा सामने से मेरी पत्नी दिखाई दी मैं गाड़ी आगे बढ़ाना चाहा तो गाड़ी वही बन्द हो गई जब मैंने पीछे मुड़कर देखा सभी 10 लोगों के पास जिनके नाम ..... ये सभी लोग मुझपर फायरिंग करने लगे ये फायरिंग जान से मारने की नीयत से थी.....।"**

5.3 उल्लेखनीय रूप से बचाव पक्ष/आवेदक पक्ष के द्वारा इस पी०डब्ल्यू०–2 की बहुत ही विस्तार से प्रतिपरीक्षा की गई है उक्त पी०डब्ल्यू०–2 अरूण कुमार बरनवाल की प्रतिपरीक्षा दिनांक 05.05.22, 09.05.22, 15.06.22, 18.06.22, 22.06.22, 23.07.22, 03.08.22, 04.08.22, 05.08.22, 06.08.22, 04.02.23, 10.02.23, 22.02.23, 03.03.23, 15.03.23, 18.03.23, 28.03.23, 04.04.23, 06.04.23 अर्थात् **कुल उन्नीस (19) कार्य दिवसों पर उक्त पी०डब्ल्यू०–2 अरूण कुमार की प्रतिपरीक्षा बचाव पक्ष के द्वारा की गई है।** पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि उक्त पी०डब्ल्यू०–2 से मामले के तथ्य के हर एक बिन्दू पर विस्तार से बचाव पक्ष/आवेदक पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा की गई है। उक्त पी०डब्ल्यू०–2 की प्रतिपरीक्षा में आये तथ्यों के सतही परिशीलन से ही यह स्पष्ट है कि आवेदक पक्ष/बचाव पक्ष के द्वारा धारा 147,148,149 भा०द०सं० में निहित सत्व के संबंध में विभिन्न प्रश्न पूछे गये हैं। उल्लेखनीय रूप से उक्त **पी०डब्ल्यू०–2 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ सं० 33 पर** यह कहा है कि

> **"गली में घुसने के बाद मेरे पीछे पाँच गाड़ियां चल रही थी इन सबों में सभी मोटर साईकिल थे जब मेरी गाड़ी गायित्री तिपाठी के मकान के हम्प पर रूकी तब मुझे पता चला कि गाड़ियों पर हमलावर है। क्योंकि उन सभी के हाथों में असलहे थे। प्रत्येक गाड़ियों पर दो–दो लोग बैठे थे...।"**

5.4 उल्लेखनीय रूप से उक्त पी०डब्ल्यू०–2 ने अपने प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ सं० 34 पर जिसमें उससे यह प्रश्न बचाव पक्ष के द्वारा किया गया है कि "क्या मुल्जिमानों के हाथों में असलहा देखने के पश्चात् आपने भागने का प्रयास किया। उल्लेखनीय रूप से उक्त पी०डब्ल्यू०–2 अरूण कुमार बरनवाल ने अपनी प्रतिपरीक्षा में बचाव पक्ष के द्वारा पूछे गये प्रश्न के उत्तर में कहा है कि

> **"मैंने दरोगा जी को यह बयान दिया था कि "फिर मुझे अभाष हुआ कि मेरे पीछे लोग थे पीछे पलटकर देखा कुछ बाईकों पर 10 लोग दिखाई दिये।"**

5.5इसी प्रकार से पी०डब्ल्यू०–3 अनवेष बरनवाल की भी प्रतिपरीक्षा बचाव पक्ष के द्वारा दिनांक 28.03.23, 04.04.23, 06.04.23, 11.04.23, 17.04.23, 19.04.23, 01.05.23, 16.05.23, 18.05.23, 22.05.23, 23.05.23, 25.05.23, 26.05.23, 30.05.23 अर्थात् **कुल चौदह (14)** कार्य दिवसों पर उक्त पी०डब्ल्यू०–3 से बचाव पक्ष के द्वारा अति वृहत तरीके से प्रतिपरीक्षा की गई है जिसमें वे सभी प्रश्न पूछे गये हैं जो अन्य अपराध के संदर्भ के अलावा अपराध अन्तर्गत धारा 147,148,149 भा०द०सं० के संघटन के संदर्भ में भी थे जिनका विस्तार से उल्लेख करना यह न्यायालय समीचीन नहीं समझती है।

5.6 इसी प्रकार से इस मामले के एक अन्य गवाह पी०डब्ल्यू०–1 अनामिका बरनवाल से भी बचाव पक्ष द्वारा जो भी प्रतिपरीक्षा की गई है उनसे स्पष्ट हो रहा है कि बचाव पक्ष द्वारा अपराध अन्तर्गत धारा 147,148,149 भा०द०सं० के अपराध के दृष्टिगत भी उक्त गवाह की प्रतिपरीक्षा की गई है उक्त के अतिरिक्त इस मामले के सभी अभियुक्तगणों से उनके कथन अंकित अन्तर्गत धारा 313 द०प्र०सं० में जो भी प्रश्न पूछे गये हैं खासकर पी०डब्ल्यू०–2 अरूण बरनवाल, पी०डब्ल्यू०–3 अनवेष बरनवाल एवं पी०डब्ल्यू०–1 अनामिका बरनवाल द्वारा उनके मुख्य परीक्षा में दिये गये साक्ष्य के इर्द गिर्द ही नि:सृत हुए हैं।

5.7 यही नहीं इस वर्तमान मामले में अभियुक्तगणों के कथन अंकित अन्तर्गत धारा 313 द0प्र0सं0 के बयान में उक्त समूह, हथियारों और उनके एक साथ आने के बारे में सवाल पूछे जा चुके हैं जिसका अभिप्राय यह है कि उन्हें इस संबंध में पूरी जानकारी थी और इस प्रकार से यदि इस न्यायालय के द्वारा गवाही की प्रक्रिया से गुजर चुके गवाहों को पुनः न बुलाये जाने से अभियुक्तगण के किसी भी अधिकार का हनन नहीं होता।

5.8 उक्त के अतिरिक्त इस वर्तमान आवेदन के संबंध में न्यायालय यहां यह उल्लेख करना आवश्यक समझती है कि यह मामला वर्ष 2016 का है और विगत 10 वर्षों में से यह अपने गंतव्य तक पहुँचने हेतु इंतजार कर रही है जबकि वर्तमान में यह मामला निर्णय होने के स्तर के करीब था अस्तु इस मोड़ पर फिर

से गवाहों को बुलाकर गवाही करना न केवल बहुमूल्य वक्त की बर्बादी है अपितु स्पष्ट रूप से अभियुक्तगणों को इस वर्तमान मामले को फिर से विलम्बित करने हेतु मौका देने के सदृश है।

5.9 और आखिर में यह न्यायालय विधि के इस स्थापित सिद्धांत का उल्लेख करना आवश्यक समझती है कि चार्ज/आरोप बदलने के बाद गवाह को बुलाना न्यायालय का विवेकाधिकार है तथा यदि बचाव पक्ष का इरादा केवल देरी करना है ऐसी स्थिति में न्यायालय मना कर सकती है। साथ ही साथ यह भी विधि का स्थापित सिद्धांत है कि यदि नये चार्ज/आरोप के तथ्य अभियुक्तगण को पहले से ही पता थे और उनके खिलाफ अभियुक्तगणों का पक्ष रिकार्ड पर उपलब्ध थे, तो ऐसी स्थिति में केवल तकनीकी आधार पर गवाहों को दुबारा बुलाना जरूरी नहीं।

6. उक्त विश्लेषण के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि आवेदक पक्ष/बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत आवेदन जोकि आवेदन संख्या 1174ख है बलहीन होते हुए स्वीकार योग्य नहीं है।

आदेश

तद्नुसार **आवेदन संख्या 1174 ख निरस्त** किया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस **दिनांक 19.08.2026** हेतु नियत की जाती है।

दिनांक 17.08.2026

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
/विशेष न्यायाधीश (ई०सी० एक्ट), गोरखपुर।